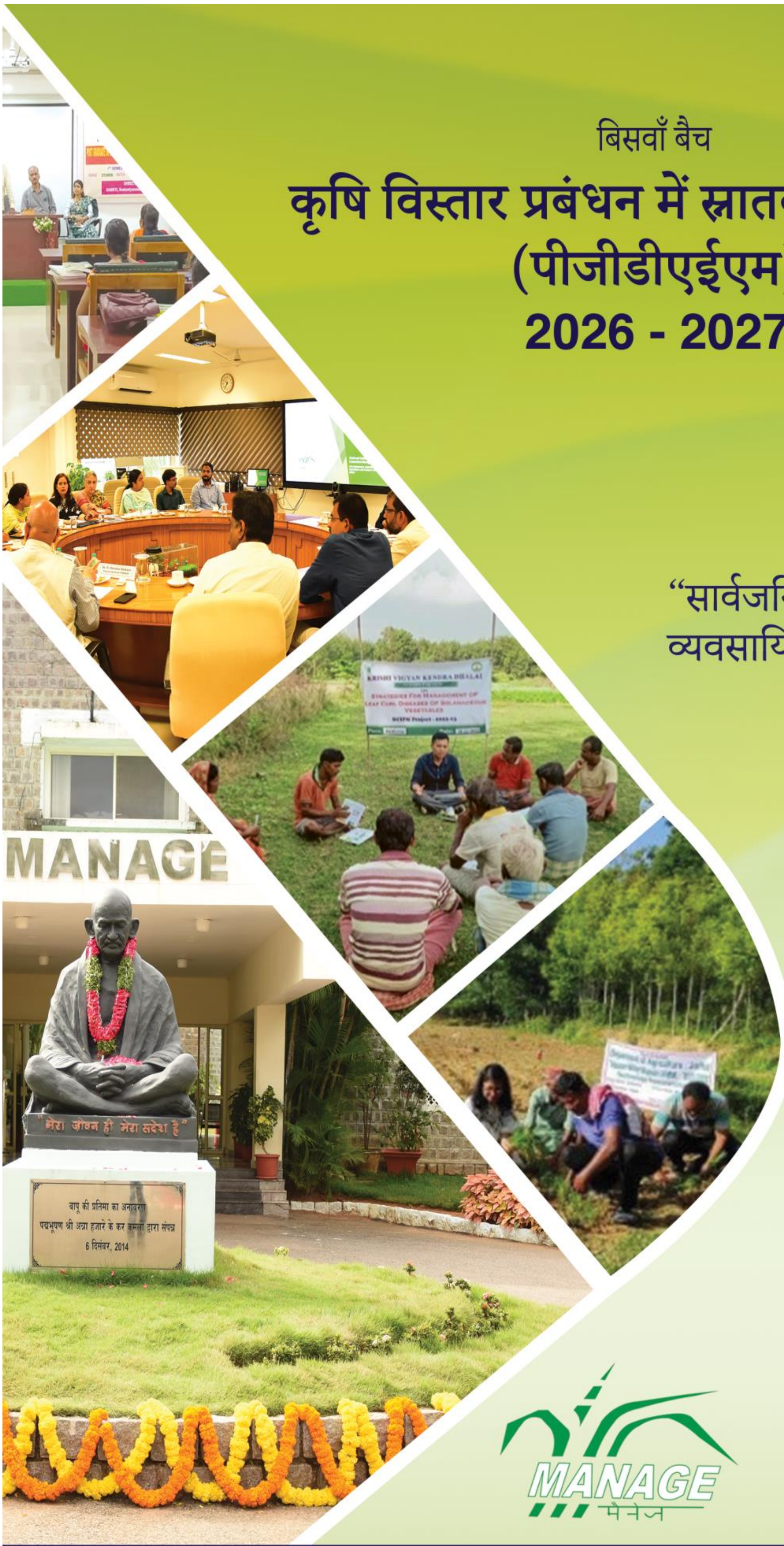

बिसवाँ बैच

कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम) 2026 - 2027

"सार्वजनिक विस्तार प्रणाली मैं व्यवसायिकता को बढ़ावा देना"

MANAGE
मैनेज

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

www.manage.gov.in

बीसवाँ बैच पीजीडीएईएम (2026–2027),
दूरस्थ शिक्षा माध्यम एवं विवरण-पुस्तिका सह-आवेदन पत्र

मैनेज और पीजीडीएईएम के बारे में

वर्ष 1987 में स्थापित 'मैनेज', भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान है। यह प्रशिक्षण, परामर्श, प्रबंधन शिक्षा, अनुसंधान और सूचना सेवाओं के माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली के पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण में सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा, यह एनएमएईटी के कृषि विस्तार उप) मिशन-SMAE) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना विस्तार सुधारों के"लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायताके क्रियान्वयन में भी सहायता करता है ", जो 31 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 700 से अधिक जिलों में लागू है।

भारत में एक लाख से अधिक सरकारी विस्तार कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जो छोटी जोत, उपज में अंतर, आदानों का उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। उनकी तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, **'मैनेज' ने वर्ष 2007 में सरकारी और निजी विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए पीजीडीएईएम (दूरस्थ शिक्षा) कार्यक्रम शुरू किया।** अब तक इसके 18 बैच पूरे हो चुके हैं, 19वां बैच प्रगति पर है और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के 24,200 से अधिक अभ्यर्थी इसमें नामांकन करा चुके हैं। वर्ष 2015-16 से, इसमें भारत सरकार का वित्तीय सहयोग सामान्य राज्यों के लिए **60%, पूर्वोत्तर तथा 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90% और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है,** जबकि शेष राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1	2	3	4
विस्तार कार्यकर्ताओं की तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि करना।	शिक्षार्थियों को कृषि विस्तार के नवीनतम विकास और प्रगतियों से अवगत कराना।	शिक्षार्थियों को सहभागी निर्णय लेने के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों से लैस करना।	कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए विस्तार मॉडलों की गहरी समझ विकसित करना।

पाठ्यक्रम संरचना (30 क्रेडिट • 15 + 15)

- दो सेमेस्टरों में कुल 30 क्रेडिट (प्रत्येक सेमेस्टर में 15); 1 क्रेडिट = 30 घंटे का अध्ययन।
- **सेमेस्टर I:** 5 पाठ्यक्रम, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक असाइनमेंट। **सेमेस्टर II:** 4 पाठ्यक्रम, प्रत्येक के लिए एक असाइनमेंट तथा परियोजना कार्य।
- परीक्षाओं से पहले संबंधित राज्यों के समेति अथवा अन्य चिन्हित संस्थानों में प्रत्येक सेमेस्टर में 5 दिनों की **व्याख्यान-सह-संपर्क कक्षाएँ** आयोजित की जाती हैं।
- **अध्ययन सहायता:** मुद्रित अध्ययन सामग्री तथा मैनेज की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-लर्निंग संसाधन, जिनमें पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान भी शामिल हैं।

पाठ्यक्रमों का ढाँचा — सेमेस्टर I एवं II

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	क्रेडिट
सेमेस्टर I		
एईएम 101	कृषि प्रसार का परिचय	3
एईएम 102	विकास हेतु सुगमीकरण	2
एईएम 103	विकास हेतु संचार	4
एईएम 104	कृषि विकास के लिए लैंगिक मुख्यधारा-करण	3
एईएम 105	नेतृत्व एवं प्रबंधन कौशल	3
सेमेस्टर II		
एईएम 201	ग्रामीण समाजशास्त्र	2
एईएम 202	कृषि व्यवसाय प्रबंधन	4
एईएम 203	कृषि प्रबंधन की योजना	3
एईएम 204	सतत कृषि विकास हेतु प्रसार	3
एईएम 205	परियोजना कार्य	3

पात्रता मानदंड

क. सरकारी / प्रायोजित श्रेणी (इस श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी)

- केंद्र / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के सेवा-रत कर्मचारी, जिन्होंने कृषि एवं संबद्ध विषयों (उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, मत्स्य आदि) में स्नातक किया हो तथा कृषि विभाग / संबद्ध क्षेत्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), एटीएमए में ब्लॉक / सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (बीटीएम एवं एटीएम), और कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) में विषय-वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) के रूप में वर्तमान में कार्यरत अन्य स्नातक।

ख. निजी / गैर-सरकारी श्रेणी

- कृषि / संबद्ध विषयों में सभी स्नातक तथा कृषि-व्यवसाय कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सहकारी संस्थाओं, किसान संगठनों, कृषि उद्यमों, कृषि-आदान विक्रेताओं, प्रगतिशील खेती और अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत अन्य स्नातक।

प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क एवं निधि पैटर्न

क. सरकारी कर्मचारी (प्रायोजित — शुल्क योजना निधि से वहन)

पहला चरण - अभ्यर्थी को अपना आवेदन तत्काल नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन संबंधित जिले के एटीएमए के परियोजना निदेशक को भेजे जाएंगे।

दुसरा चरण - परियोजना निदेशक, एटीएमए, जाँच के बाद इसे संबंधित राज्य के समेति निदेशक को अग्रेषित करेंगे, जो आगे राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को भेजेंगे।

तिसरा चरण - समेति निदेशक सभी आवेदनों को संकलित कर अनुमोदन हेतु एसएनओ, विस्तार सुधार को अग्रेषित करेंगे।

चौथा चरण - एसएनओ द्वारा अनुमोदित आवेदन प्रवेश के लिए 20वें बैच (2026–27) हेतु मैनेज को भेजे जाएंगे।

निधि जारी करने का पैटर्न: विस्तार सुधार योजना के अंतर्गत भारत सरकार पाठ्यक्रम शुल्क का 60% (सामान्य राज्य), 90% (उत्तर-पूर्वी राज्य + 3 हिमालयी राज्य) और 100% (केंद्रशासित प्रदेश) प्रायोजित करेगी। संबंधित राज्य सरकारों को संपर्क कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए समेति को मिलान राज्य अंश (सामान्य राज्यों के लिए 40% तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 10%) जारी करना होगा।

ख. निजी अभ्यर्थी — शुल्क ₹20,000 (एक किस्त, सीटों की कोई सीमा नहीं)

- निजी अभ्यर्थियों को अपना आवेदन सीधे मैनेज को प्रस्तुत करना होगा।
- सरकार / एसएयू / एटीएमए / केवीके के प्रसार कार्यकर्ता, जो प्रायोजित चैनल से बाहर आवेदन कर रहे हैं, उन्हें उचित माध्यम से मैनेज द्वारा नामित समेति / अध्ययन केंद्र को आवेदन करना होगा; अध्ययन केंद्र आवेदन को अंतिम अनुमोदन के लिए मैनेज को भेजेगा।
- कृषि-व्यवसाय, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं, कृषि उद्यमियों, आदान विक्रेताओं, प्रगतिशील किसानों और निजी संगठनों से आने वाले अभ्यर्थियों को **₹20,000** एक किस्त में **"मैनेज, हैदराबाद" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन / जीपे** द्वारा जमा करना होगा और आवेदन के साथ लेन-देन का विवरण संलग्न कर सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजना होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

समेति को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के प्रत्येक जिले और सभी विभागों से आवेदन प्राप्त हों।

बैंक खाते का विवरण

खाता विवरण	विवरण
खाता नाम	National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)
बैंक	State Bank of India, Rajendranagar, Hyderabad
खाता संख्या	42004841992
आईएफएस कोड	SBIN0020074
एमआईसीआर कोड	500002348

भुगतान और आवेदन कैसे करें

- मैनेज की वेबसाइट के पीजीडीएईएम वेबपेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन करें (www.manage.gov.in), अथवा
- https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/payment/listcategory.html पर भुगतान करें।
- आवेदन प्रपत्र के साथ भुगतान का प्रमाण संलग्न करें।
- निजी आवेदन सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजे जाएँ।

संपर्क कक्षाएँ, परीक्षाएँ एवं मूल्यांकन

संपर्क कक्षाएँ: सेमेस्टर I में 5 दिन और सेमेस्टर II में 4 दिन (प्रतिदिन एक पाठ्यक्रम) अध्ययन केंद्र पर, मैनेज के कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाओं से लगभग एक माह पहले आयोजित की जाएँगी।

उपस्थिति अनिवार्य है — केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकता है जिसने संबंधित पाठ्यक्रम की संपर्क कक्षाओं में भाग लिया हो।

मूल्यांकन: लिखित परीक्षा 70 अंक + प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए असाइनमेंट 30 अंक; परियोजना कार्य सहित प्रत्येक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कुल 50 अंक आवश्यक हैं।

अंकों का प्रतिशत	विभाजन
80% और उससे अधिक	विशिष्ट योग्यता सहित प्रथम श्रेणी
70% से 79.9%	प्रथम श्रेणी
60% से 69.9%	द्वितीय श्रेणी
50% से 59.9%	उत्तीर्ण

अतिरिक्त अवसर

जिन अभ्यर्थियों के सेमेस्टर-I के प्रश्नपत्र शेष रह जाते हैं, वे सेमेस्टर-II परीक्षाओं के साथ पूरक परीक्षा दे सकते हैं। जो अभ्यर्थी उसी वर्ष परीक्षाएँ उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2028–29 की सेमेस्टर-I एवं सेमेस्टर-II परीक्षाओं में पुनः बैठने की अनुमति होगी। इसके बाद पंजीकरण अमान्य होगा। अप्रैल 2029 के बाद कोई अतिरिक्त विस्तार नहीं दिया जाएगा।

पूरक / विलंब शुल्क: ₹200 प्रति विषय (पूरक परीक्षा); ₹200 प्रति असाइनमेंट (पुनः / विलंबित जमा); ₹200 प्रति परियोजना रिपोर्ट (पुनः / विलंबित जमा)।

असाइनमेंट, परियोजना कार्य एवं परिणाम

असाइनमेंट: प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनिवार्य; पाठ्यक्रम-वार विषय मैनेज की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को सत्रांत परीक्षाओं में बैठने से पहले असाइनमेंट जमा करने होंगे। जमा न करने को अपूर्ण माना जाएगा।

परियोजना कार्य — एईएम 205 (3 क्रेडिट, 100 अंक, उत्तीर्णांक 50): परियोजना कार्य अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपनी कार्य-स्थिति और कृषक समुदाय के अनुरूप श्रेणी ए / बी / सी में से एक विषय चुनेंगे। परियोजना को अभ्यर्थी के कार्यक्षेत्र में किसानों / हितधारकों के साथ क्षेत्रीय गतिविधि के रूप में नियोजित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट को परियोजना रिपोर्ट के रूप में अभिलेखित कर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं से पहले मैनेज को जमा करना होगा तथा परियोजना सारांश की सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी होगी।

परिणाम: अंतिम परिणाम मैनेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के ई-प्रमाणपत्र और अंक विवरण संबंधित समेति को भेजे जाएंगे। निजी अभ्यर्थियों के ई-प्रमाणपत्र और अंक विवरण उनके संबंधित पते पर सीधे भेजे जाएंगे।

वचन-पत्र

पीजीडीएईएम के लिए पंजीकरण करने वाले सरकारी अभ्यर्थियों को यह वचन-पत्र देना होगा कि वे पाठ्यक्रम को दो वर्षों के भीतर पूरा करेंगे। ऐसा न करने पर पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क (₹20,000) उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। प्रायोजक प्राधिकारी / विभाग को आवेदन प्रपत्र के साथ वचन-पत्र मैनेज को अग्रेषित करना होगा।

टिप्पणियाँ

सरकारी आवेदन केवल उचित माध्यम से प्राप्त होने चाहिए। अंतिम प्रवेश मैनेज के महानिदेशक के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा। पंजीकरण के एक माह बाद वापसी के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे अनुरोध केवल आत्मा / समेति के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

शिक्षण का माध्यम: अंग्रेज़ी / हिन्दी

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31-01-2027

मैनेज की वेबसाइट (www.manage.gov.in) पर उपलब्ध सुविधाएँ

सुविधा	विवरण
प्रवेश सूचियाँ देखें / डाउनलोड करें	अध्ययन सामग्री (अंग्रेज़ी एवं हिन्दी) विशेषज्ञों द्वारा किए गए पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियों
असाइनमेंट एवं परियोजना विषय	दिशा-निर्देश: संपर्क कक्षाएँ, असाइनमेंट, परियोजना, परीक्षाएँ
मॉडल प्रश्नपत्र	परीक्षा कार्यक्रम
हॉल टिकट (टर्म-एंड और सप्लीमेंट्री)	प्रारुप: परिक्षा परिणाम, उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण
अंक विवरण एवं परिणाम	प्रतिपुष्टि/फीडबैक (ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण)

पीजीडीएईएम प्रकोष्ठ — अधिक जानकारी के लिए

संपर्क	
कन्सलटेंट : 6299023251	**उप निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीएईएम)** **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)** **राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030** **वेबसाइट: www.manage.gov.in**
कार्यक्रम कार्यकारी: 6281959725	
ईमेल: directoraem@manage.gov.in	

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि-31-01-2027

कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएम)

आवेदन प्रपत्र – बीसवाँ (2026–27) बैच

कार्यालयीन उपयोग हेतु

कृपया प्रपत्र को बड़े अक्षरों में अपनी हस्तलिपि में भरें।

क्रमांक	केंद्र का नाम	राज्य

एक हस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं, और अलग से एक संलग्न करें

1. बड़े अक्षरों में नाम (डॉ./श्री/सुश्री): ____________________________
2. जन्म तिथि: दिन ___ माह ___ वर्ष _______
3. 1.1.2027 तक आयु: _________________
4. लिंग: ☐ पुरुष ☐ महिला
5. क्या आप SC / ST / OBC / दिव्यांग श्रेणी से संबंधित हैं? ☐ SC ☐ ST ☐ OBC ☐ PH ☐ अन्य
6. कार्य: ☐ सरकारी ☐ गैर-सरकारी / निजी ☐ संगठन ☐ अन्य

7. *पत्राचार के लिए डाक-पिन कोड सहित कार्यालय / विभाग / संस्था / एनजीओ / कृषि-व्यवसाय कंपनी / सहकारी / किसान संगठन / अन्य का नाम और पता:

विवरण	जानकारी
अभ्यर्थी का वर्तमान पूर्ण पदनाम (विस्तार से) *	
कार्यालय / विभाग / संस्थान का नाम *	
वार्ड / सर्किल और स्थान	
तालुक / डाकघर	
जिला	
राज्य	
पिन कोड *	

8. अभ्यर्थी का स्थायी पता:

विवरण	जानकारी
वार्ड / सर्किल और स्थान *	
तालुक / डाकघर	
जिला	
राज्य	
पिन कोड *	

कार्यालय टेलीफोन (STD कोड सहित)	व्यक्तिगत मोबाइल *	मोबाइल
ईमेल:	ईमेल *:	

* अनिवार्य

9. शैक्षणिक योग्यताएँ (केवल स्नातक की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें) (*अनिवार्य)

क्रमांक	परीक्षा / डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कॉलेज	विश्वविद्यालय	श्रेणी / डिवीजन
1	डिग्री * (......................................)				
2	स्नातकोत्तर ** (......................................)				
3	पीएच.डी. (......................................)				

नोट: कृपया B.Sc. (Ag), B.V.Sc., Fisheries .... अन्य लिखें; ** M.Sc. (Ag), M.V.Sc., M.F.Sc. .... तथा अन्य लिखें।

10. अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ वर्ष

11.* आप अध्ययन सामग्री किस भाषा में प्राप्त करना चाहेंगे: ☐ अंग्रेज़ी ☐ हिन्दी

12. वचन-पत्र

क) अभ्यर्थी का वचन-पत्र

"मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए मैनेज प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाए गए आचार-संहिता और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।"

ख) केवल सरकारी कर्मचारियों का वचन-पत्र

"मैं यह वचन देता/देती हूँ कि कार्यक्रम में पंजीकरण के बाद दो वर्षों के भीतर पीजीडीएईएम पूरा करूँगा/करूँगी। अन्यथा, मैं अपने नियंत्रक प्राधिकारी को अपने वेतन से ₹20,000/- का पूरा पाठ्यक्रम शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।"

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित: ________________________________

13. अग्रेषण प्राधिकारी: (अनिवार्य)

केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रेषण प्राधिकारी का वचन-पत्र

मैं अपने कार्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी का आवेदन अग्रेषित और अनुमोदित करता/करती हूँ तथा यह सुनिश्चित करता/करती हूँ कि वह बिना किसी असफलता के केवल दो वर्षों के भीतर पीजीडीएईएम पूरा करेगा/करेगी।

अधिकारी	हस्ताक्षर / पता / संपर्क
क) तत्काल नियंत्रक प्राधिकारी (पिन कोड और फोन नंबर सहित डाक पता)	
ख) परियोजना निदेशक (एटीएमए) (अनिवार्य) — पिन कोड और फोन नंबर सहित डाक पता	
ग) समेति निदेशक / एसएनओ (अनिवार्य) — कार्यालय की मुहर, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल और कार्यालय फोन नंबर	

आवेदन भेजने का पता

उप निदेशक एवं प्रधान समन्वयक – पीजीडीएईएम
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030
ईमेल: directoraem@manage.gov.in

MANAGE
मैनेज

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत
www.manage.gov.in